उपर्युक्त के अतिरिक्त इस दौरान 28 मामलों में फ्लैटों के आवंटन रद्द किए गए ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास विभाग में पहले से ही विद्यमान एक स्वतंत्र प्रवर्तन शाखा को आवंटन नियमों के उल्लंघन की जांच अधिक प्रभावी रूप से करने के लिए हिदायत दी गई है ।

मोती बाग–2 में अवैध कब्जे

3461. **श्री गया सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सत्य निकेतन, मोती बाग–2 नई दिल्ली के बस सटैंड के निकट रिंग रोड की पटरी पर कुछ व्यक्तियों ने व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अवैध कब्जे कर लिए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका के प्रवर्तन विभाग का दस्ता इस मार्ग से लगभग प्रतिदिन ही गुजरता है ;

(ग) क्या रिंग रोड की पटरी नई दिल्ली नगर पालिका के अतिरिक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में भी आती है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त अतिक्रमणों को हटाने का अधिकार किस प्राधिकरण के पास है; और

(ङ) सरकार इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Harassment to Group Housing Societies

3462. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Delhi Development Authority has issued a note for Rs. 2,84,000 as 'pre-occupancy' charges to Samachar Cooperative Group Housing Society, Mayur Vihar, Phase—I Ext., Delhi;

(b) whether it is also a fact that DDA had authorised the Society on 18th October, 1989 to occupy the flats only after obtaining the requisite 'D' form,

(c) whether the said Society has made a representation against the demand note, if so, the action taken by Government and the DDA on the withdrawal of the demand note; and

(d) whether Government propose to take action and fix responsibility for lapses, resulting in motivated harassment to Group Housing Societies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. As reported by the DDA the society had made a representation and the compounding charges for pre-occupancy have been waived.

(d) As reported by DDA, since there is no harassment to Group Housing Societies, the question of taking action and fixing any responsibility does not arise.

Unauthorised construction in Ashok Vihar

3463. SHRI O. RAJAGOPAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question No. 2453 given in the Rajya Sabha on 13-12-91 and state